



पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़

(पूर्व नाम- छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)

जी. ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771 2263234

ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/ 1211 / D.U.H.S./गोप./2018


रायपुर, दिनांक 06/08/2018

//अधिसूचना//

अनुचित साधन समिति की बैठक दिनांक 04.08.2018 के निर्णयानुसार – निम्नलिखित अनुचित साधन प्रकरण रेगुलेशन 10 के कंडिका 11-b की श्रेणी में दंड योग्य है। इन्हें “The cancellation of examination and the examinee be debarred from appearing at the next full examination (two subsequent examinations).” निम्नलिखित छात्रों की वर्तमान परीक्षा को निरस्त कर आगामी दो परीक्षाओं से वंचित किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
17010985	एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष परीक्षा फरवरी-2018(एनाटॉमी-I)	अहमद कैफ	पं. जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज, रायपुर(छ.ग.)	पं. जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज, रायपुर(छ.ग.)
17010862	एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष परीक्षा फरवरी-2018(फिजियोलॉजी-I)	डिगेश्वर बघेल	श्री शंकराचार्य इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, भिलाई (छ.ग.)	शास. नर्सिंग महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
15010773	एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष परीक्षा फरवरी-2018(फिजियोलॉजी-II)	निलांजन टोप्यो	सी.सी.एम मेडिकल कॉलेज, कचान्दुर, दुर्ग	शास. नर्सिंग महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/ 1055 / D.U.H.S./गोप./2018

रायपुर, दिनांक 06/08/2018

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों द्वारा प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।

  
कुलसचिव



पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़

(पूर्व नाम— छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)  
जी. ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771 2263234

ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/1212/D.U.H.S./गोप./2018

रायपुर, दिनांक 06/08/2018

//अधिसूचना//

अनुचित साधन समिति की बैठक दिनांक 04.08.2018 के निर्णयानुसार – निम्नलिखित अनुचित साधन प्रकरण रेगुलेशन 10 के कंडिका 11-a की श्रेणी में दंड योग्य है। इन्हें “The cancellation of examination of same subject.” निम्नलिखित छात्र की संबंधित विषय की परीक्षा को निरस्त किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
140390	बी.डी.एस. चतुर्थ वर्ष सित. -2017(ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी)	सुप्रभा भोल	मैत्री कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेन्टर, दुर्ग(छ.ग.)	भारती आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग(छ.ग.)

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/1056/D.U.H.S./गोप./2018

रायपुर, दिनांक 06/08/2018

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों द्वारा प्राचार्य, मैत्री कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेन्टर, दुर्ग(छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।

  
कुलसचिव